संख्या– 1972/11–6–10–एम(72)/2010

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6

लखनऊः दिनांक 03 जनवरी, 2011

विषयः *प्रदेश में मल्टीप्लेक्स छविगृहों को खोलने के उद्देश्य से प्रोत्साहन योजना वर्ष 2010 के संबंध में।*

महोदय,

प्रदेश में मल्टीप्लेक्स निर्माण छविगृहों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–1211/11–क0नि0–6–2005–बीस0–आर0 (12)/98 दिनांक 27.09.2005 के द्वारा 05 वर्ष हेतु प्रथम तीन वर्षो तक 100 प्रतिशत तथा अगले दो वर्षो तक 75 प्रतिशत में मनोरंजन कर से छूट की सुविधा प्रथम फिल्म प्रदर्शन की तिथि से अनुमन्य की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत अनुदान का लाभ ऐसे मल्टीप्लेक्स छविगृहों को अनुमन्य था, जिन्होंने उ0प्र0चलचित्र नियमावली, 1951 में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट से दिनॉक 31–3–2010 तक निर्माण की पूर्वानुमति प्राप्त कर मल्टीप्लेक्स का निर्माण पूर्ण कर लिया हो तथा इसी तिथि तक उसमें सिनेमा प्रदर्शन हेतु लाईसेंस प्राप्त कर लिया हो। इस प्रकार वर्तमान में यह योजना दिनॉक 31–3–2010 को समाप्त हो चुकी है।

2. उपरोक्त प्रोत्साहन योजना, 2005 की समाप्ति के उपरान्त आगामी 05 वर्षो तक इसे संशोधित रूप में बनाये रखे जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इस संशोधित योजना में अनुदान की राशि निम्नवत् निर्धारित की गयी है :

(क) नगर निगम क्षेत्रों एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स हेतु अनुदान

प्रथम वर्ष	मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 100 प्रतिशत अनुदान।
द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 75 प्रतिशत अनुदान।
चतुर्थ एवं पंचम वर्ष	मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 50 प्रतिशत अनुदान।
छठा वर्ष एवं आगे	पूर्ण कर देयता।

(ख) नगर निगम एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा से भिन्न स्थानीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स हेतु अनुदान

प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 100 प्रतिशत अनुदान।
चतुर्थ वर्ष एव पंचम वर्ष	मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 75 प्रतिशत अनुदान।
छठा वर्ष एवं आगे	पूर्ण कर देयता।

3. प्रोत्साहन योजना, 2010 शासनादेश जारी होने की तिथि से दिनांक 31.3.2015 तक प्रभावी होगी।

4. इस योजना का लाभ इस अवधि में निर्मित ऐसे सभी मल्टीप्लेक्स को अनुमन्य होगा, जिन्होंने उ0प्र0चलचित्र नियमावली,1951 में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्माण की पूर्वानुमति प्राप्त कर मल्टीप्लेक्स का निर्माण पूर्ण कर लिया हो तथा दिनॉक 31.3.2015 तक सिनेमा प्रदर्शन हेतु लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो। परतु जिन आवेदकों द्वारा शासनादेश सं0–1211/11–क0नि0–6–2005–बीस–आर (12)/98 दिनॉक 27.09.2005 की योजना से प्रभावित होकर उ0प्र0चलचित्र नियमावली, 1951 के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिवत् जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति प्राप्त कर मल्टीप्लेक्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया हो किन्तु दिनांक 31.3.2010 तक मल्टीप्लेक्स के छविगृहों में फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु लाइसेंस प्राप्त न कर सके हों ऐसे मल्टीप्लेक्सों, जो दिनॉक 31.3.2011 तक प्रदर्शन हेतु लाईसेंस प्राप्त कर लेते हैं, को भी इस शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तों के पालन होने पर इस योजना का लाभ यथास्थिति उपरोक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगा ।

5. मल्टीप्लेक्स छविगृहों के प्रोत्साहन विषयक पूर्व में जारी किये गये समस्त शासनादेश संख्या–1161/11–क0सं0वि0–6–99–बीस–आर(12)/98 दिनॉक 13 जुलाई, 1999, शासनादेश संख्या–2532/11–क0नि0–6–2000–बीस–आर(12)/98 दिनॉक 17 जनवरी, 2001,शासनादेश संख्या–813/11–क0नि0–6–2001–बीस–आर(12)/98, दिनॉक 04 अप्रैल, 2001, शासनादेश संख्या–2226/11 –क0नि0–6–2001–बीस–आर(12)/98, टी0सी0 दिनॉक 12 नवम्बर, 2001तथा शासनादेश संख्या–1211/11–क0नि0–6–2005–बीस0–आर0 (12)/98 दिनांक 27 सितम्बर, 2005 को अतिकमित करते हुए वर्तमान प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत बनने वाले मल्टीप्लेक्स छविगृहों को निम्नवत् अनुदान अनुमन्य होगा :

(1) अनुदान प्राप्त करने के लिये मल्टीप्लेक्स स्वामी द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ–साथ मल्टीप्लेक्स छविगृह की लागत का पूरा वास्तविक ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसमें भूमि की कीमत, व्यावसायिक प्रयोजन से किये गये निर्माण, यथा–मल्टीप्लेक्स छविगृह के निम्न स्तर के तलों का व्यवसायिक उपयोग वाले निर्माण तथा उन निर्माणों तक उपयोग होने वाले रैम्प, एक्सीलेटर, सीढ़ियों का निर्माण तथा बेसमेन्ट, दुकानें, होटल, स्वीमिंग पूल आदि सम्मिलित नहीं किया जायेगा, किन्तु छविगृहों हेतु उपकरण साज–सज्जा आदि की लागत सम्मिलित की जायेगी। उक्त से संबंधित समस्त अभिलेख के साथ संलग्न **प्रारूप–I** पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र देना होगा तथा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लाइसेंस देने के साथ–साथ उपर्युक्त अनुदान की स्वीकृति भी संलग्न **प्रारूप–II** में उल्लिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जायेगी तथा मल्टीप्लेक्स छविगृह स्वामी द्वारा संलग्न **प्रारूप– III** में अपने स्वयं के हस्ताक्षर से शपथ पत्र तथा रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध–पत्र निष्पादित/ प्रस्तुत करने के बाद ही सहायक अनुदान योजना प्रभावी होगी। उक्त **प्रारूप–I, II**

व III संलग्न है।

(2) अनुदान प्राप्त करने के लिए मल्टीप्लेक्स स्वामी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत मानचित्र की प्रति भी प्रस्तुत की जाएगी।

(3) मल्टीप्लेक्स छविगृह स्वामी द्वारा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुदान का लाभ लेने हेतु जिला मजिस्ट्रेट को दिये गये प्रार्थना पत्र पर तीन माह के अन्दर निर्णय नहीं होता है तो प्रार्थी शासन के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है ।

(4) जिलाधिकारी को लाइसेंस देने की तिथि पर इस बात से संतुष्ट होना होगा कि मल्टीप्लेक्स छविगृह चलचित्र प्रदर्शन के लिए पूर्णतया तैयार व हर प्रकार से संयन्त्रयुक्त एवं सुसज्जित है, अनुदान स्वीकृति हेतु आवश्यक सभी अभिलेख प्रस्तुत कर दिये गये हैं तथा उनके तथ्य एवं आंकड़े पूर्णतः सत्य है। आवेदक को लाईसेंस तभी दिया जाएगा जब उसके द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा मल्टीप्लेक्स हेतु जारी **"पूर्णता प्रमाण पत्र"** प्रस्तुत कर दिया है।

(5) अनुदान की अवधि प्रस्तर–2 में उल्लिखित तालिकाओं **(क) एवं (ख)** में उल्लिखित प्रस्तावानुसार 05 वर्ष अथवा मल्टीप्लेक्स छविगृह की लागत (भवन या स्थल जो चलचित्र प्रदर्शन के लिए है, की लागत) मूल्य प्राप्त होने तक, जो पहले हो, होगी।

(6) वास्तविक लागत के संबंध में मल्टीप्लेक्स छविगृह स्वामी द्वारा स्वयं के व्यय पर शासकीय मूल्यांकक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(7) अनुदान योजना का लाभ प्राप्त होने की अवधि समाप्त होने के पश्चात कम से कम आगामी 05 वर्षो की अवधि में मल्टीप्लेक्स छविगृह में सिनेमा का प्रदर्शन अनिवार्य होगा। इस अवधि में पूर्व में संचालित नियमित प्रदर्शनों की संख्या में कमी नहीं की जायेगी। उक्त शर्त का उल्लंघन करने की दशा में अनुदान के रूप में उन्हें दी गयी सम्पूर्ण धनराशि 18 प्रतिशत व्याज सहित भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर ली जाएगी।

(8) मल्टीप्लेक्स छविगृह स्वामी को प्रत्येक प्रदर्शन में जारी किये गये टिकट से प्राप्त आय का लेखा उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर नियमावली, 1981 के नियम–13 के अनुसार प्रपत्र ख में बनाना होगा एवं अनुदान की अवधि में इसके देय कर की राशि अलग से दिखाई जायेगी। मल्टीप्लेक्स छविगृह स्वामी को उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम,1979 की धारा–8 के अन्तर्गत लगायी गयी शर्तो का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

(9) मल्टीप्लेक्स छविगृह स्वामी द्वारा अनुदान के समतुल्य कर की धनराशि को नकद जमा करना आवश्यक न होगा एवं इस संबंध में यह मान लिया जायेगा कि उसने उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर नियमावली,1981 के नियम–24 के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुसार अनुदान के बराबर की धनराशि जमा कर दी है किन्तु लेखों में आवश्यक समायोजन हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक माह मल्टीप्लेक्स छविगृह स्वामी उपरोक्त बिल के साथ उस माह के लिए अनुमन्य अनुदान की कुल राशि का विवरण भी संलग्न करेगा, जो जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

इस प्रकार प्रस्तुत प्रतिहस्ताक्षरित बिल के आधार पर कोषाधिकारी अनुदान की राशि का नकद भुगतान न करके उक्त राशि को अनुदान संख्या–90 के लेखा शीर्षक "2045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क–आयोजनेत्तर–101 संग्रह प्रभार–मनोरंजन कर–03–मनोरंजन कर से संबंधित अधिष्ठान–20–सहायक अनुदान/ अंशदान /राज्य सहायता" के नामे डालते हुए उसे प्राप्ति शीर्षक "0045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क–101 मनोरंजन कर–01–कर संग्रहण" के अधीन जमा कर देगा। बिल के साथ संलग्न सत्यापित प्रतिहस्ताक्षरित विवरण–पत्र बाउचर का कार्य करेगा।

(10) यदि शासन अथवा जिला मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाता है कि मल्टीप्लेक्स के निर्माण में उससे संबंधित नियमावली, अधिनियम, विनियमन, बाईलाज के किसी प्राविधान अथवा अनुमोदित मानचित्रों एवं विशिष्टियों का उल्लंघन किया गया है अथवा, अनुदान ग़लत आधार पर स्वीकृत किया गया है,तो अनुदान का आदेश निरस्त किया जा सकेगा तथा अनुदान सहित प्रथम प्रदर्शन से ऐसे निरस्तीकरण की तिथि तक अनुदान के रूप में दी गई धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज के साथ भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1972(1)/11–6–10–एम(72)/2010, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, (प्रथम) उ0प्र0इलाहाबाद।
2. आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–9
4. सूचना अनुभाग–2
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

प्रारूप– I

शासनादेश संख्या–..... दिनांक..... के अधीन नये बने मल्टीप्लेक्स छविगृहों को देय सहायक अनुदान हेतु प्रार्थना–पत्र का प्रारूप।

संख्या.....

दिनांक.....201

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,

.....

महोदय,

मैं .....(स्वामी) ..... (मल्टीप्लेक्स छविगृह का नाम तथा स्थान) जहाँ की जनसंख्या तत्समय प्रकाशित जनगणना के अनुसार ..... है, (जिले का नाम) ..... में दिनांक..... से शासनादेश संख्या– ....दिनांक.....के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम,1979, यथा संशोधित, के अधीन देय आमोद कर की धनराशि से निम्नवत् धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान किये जाने की प्रार्थना इस शर्त के साथ करता हूँ कि यदि भवन निर्माण की लागत (उपकरण, साज–सज्जा आदि की लागत को सम्मिलित करते हुए), जिसमें भूमि के मूल्य एवं मल्टीप्लेक्स छविगृह में निर्मित छविगृहों के अतिरिक्त भवन के व्यावसायिक प्रयोजन से किये गये निर्माण यथा– मल्टीप्लेक्स छविगृह के निम्न स्तर के तलों का व्यवसायिक उपयोग वाले निर्माण तथा उन निर्माणों तक उपयोग होने वाले रैम्प, एक्सीलेटर, सीढ़ियों का निर्माण तथा बेसमेन्ट,दुकानें,स्वीमिंग पूल आदि पर हुये व्यय को सम्मिलित नहीं किया जायेगा, को शासनादेश में निर्धारित अनुदान की अवधि पूरी होने के पहले ही प्राप्त हो जाती है, तो शेष अवधि के लिये अनुदान प्राप्त नहीं करूँगा न ही अनुदान की अवधि बढ़ाने हेतु कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करूंगा :

(क) नगर निगम क्षेत्रों एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स हेतु अनुदान

प्रथम वर्ष	मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का100 प्रतिशत अनुदान।
द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	मल्टीप्लेक्स के सभीछविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 75 प्रतिशत अनुदान।
चतुर्थ एवं पंचम वर्ष–	मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 50प्रतिशत अनुदान।
छठा वर्ष एवं आगे	पूर्ण कर देयता।

(ख) नगर निगम एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा से भिन्न स्थानीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स हेतु अनुदान

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 100 प्रतिशत अनुदान।
चतुर्थ एवं पंचम वर्ष–	मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 75 प्रतिशत अनुदान।
छठा वर्ष एवं आगे	पूर्ण कर देयता।

2– मैं, अनुदान योजना का लाभ प्राप्त होने की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् कम से कम आगामी पाँच वर्षों तक सिनेमा प्रदर्शन जारी रखूँगा तथा इस अवधि में भी पूर्व में संचालित नियमित प्रदर्शनों की संख्या में कोई कमी नहीं करूंगा।

3– उपरोक्त सहायक अनुदान प्राप्त करने के लिए जो शर्त/शर्तें लगायी जायेंगी, उसका मैं पूर्णरूप से पालन करूँगा। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो जिला मजिस्ट्रेट इस अनुदान आदेश को तत्काल निरस्त कर सकेंगे ।

4– मैं, अनुदान स्वीकृति के बाद किसी नियम, उपविधि (Byelaws), विनियमन, अधिनियम (जो तत्समय लागू हों) अथवा अनुमोदित मानचित्रों एवं विशिष्टियों का उल्लंघन नही करूँगा, इस प्रकार के किसी भी उल्लंघन के पाये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट प्रदत्त अनुदान आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकते हैं।

5– मैं, उक्त अनुदान योजना प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत/अनुमोदित मानचित्र की प्रति भी प्रस्तुत कर रहा हूँ।

6– मैं, अनुदान योजना प्राप्त होने पर की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कम से कम 05 वर्षो की अवधि तक मल्टीप्लेक्स छविगृह में सिनेमा प्रदर्शन अनिवार्य रूप से करूँगा। इस अवधि में पूर्व में संचालित नियमित प्रदर्शनों की संख्या में कमी नहीं करूँगा । उक्त की उल्लंघन करने की दशा में अनुदान के रूप में दी गयी सम्पूर्ण धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करने की शर्त का पालन करूँगा।

7– उक्त बिन्दु–3 अथवा 4 के अन्तर्गत अनुदान का आदेश निरस्त होने की स्थिति में अनुदान सहित प्रथम फिल्म प्रदर्शन की तिथि से ऐसे निरस्तीकरण की तिथि तक दिये गये अनुदान की राशि 18 प्रतिशत ब्याज के साथ राजकीय कोष में जमा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

8–पूर्ण विवरण संलग्न है।

मल्टीप्लेक्स छविगृह स्वामी के हस्ताक्षर

विवरण

1– लाइसेंसी का नाम।

2– साइट प्लान हेतु आवेदन पत्र की प्रतिलिपि व दिनांक जिसको जिला मजिस्ट्रेट ने स्वीकृत किया।

3– छविगृह भवन के लागत का पूरा वास्तविक ब्योरा एवं तत्सम्बंधित अभिलेख।

4– प्रस्तावित प्रथम प्रदर्शन की तिथि।

मल्टीप्लेक्स छविगृह स्वामी के हस्ताक्षर

प्रारूप– II

शासनादेश संख्या– ..... दिनांक .....के
अधीन नवनिर्मित मल्टीप्लेक्स छविगृह को स्वीकृत सहायक अनुदान का आदेश।

आदेश

संख्या– दिनांक

श्री .....लाइसेन्सी . . . . . (मल्टीप्लेक्स छविगृह का नाम तथा स्थान, जहाँ की जनसंख्या तत्समय प्रकाशित जनगणना के अनुसार . . . . . है) जिले का नाम . . . . . में दिनांक. . . . . से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम,1979 के अन्तर्गत देय कर की राशि में से निम्नवत अनुदान स्वीकृत किया जाता है :

(क) नगर निगम क्षेत्रों एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स हेतु अनुदान

प्रथम वर्ष–	मल्टीप्लेक्सके सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 100 प्रतिशत अनुदान।
द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 75 प्रतिशत अनुदान।
चतुर्थ एवं पंचम वर्ष	मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 50प्रतिशत अनुदान।
छठा वर्ष एवं आगे	पूर्ण कर देयता।

(ख) नगर निगम एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा से भिन्न स्थानीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स हेतु अनुदान

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 100 प्रतिशत अनुदान।
चतुर्थ एवं पंचम वर्ष	मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 75 प्रतिशत अनुदान।
छठा वर्ष एवं आगे	पूर्ण कर देयता।

2– अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी :

(1) मल्टीप्लेक्स छविगृह स्वामी को किसी भी दशा में मल्टीप्लेक्स छविगृह की लागत से अधिक अनुदान अनुमन्य नहीं होगा इसलिए मल्टीप्लेक्स छविगृह जिसमें सिनेमा थियेटर से संबंधित निर्माण (भूमि का मूल्य तथा व्यावसायिक प्रयोजन से किये गये निर्माण यथा– मल्टीप्लेक्स छविगृह के निम्न स्तर के तलों का व्यवसायिक उपयोग वाले निर्माण तथा उन निर्माणों तक उपयोग होने वाले रैम्प, एक्सीलेटर, सीढ़ियों का निर्माण तथा बेसमेन्ट, दुकानें,स्वीमिंग पूल आदि सम्मिलित नहीं करते हुये) की लागत (उपकरण साज–सज्जा आदि की लागत को सम्मिलित करते हुये) अनुदान के रूप में यदि 05 वर्ष की निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले ही प्राप्त कर लिया जाता है तो इन 05 वर्ष की शेष अवधि के लिये अनुदान देय नहीं होगा परंतु भवन का लागत मूल्य प्राप्त नहीं होने की दशा में भी अनुदान की अवधि 05 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

(2) अनुदान की राशि मल्टीप्लेक्स छविगृह के स्वामी की सुविधा के लिये उसके द्वारा देय आमोद कर की राशि में निर्धारित प्रकिया के अनुसार समायोजित कर दी जायेगी।

(3) मल्टीप्लेक्स छविगृह का स्वामी उ0 प्र0 आमोद और पणकर अधिनियम,1979 की धारा–8 के अन्तर्गत लगायी गयी शर्तो का अनुपालन करेंगे एवं प्रत्येक प्रदर्शन में जारी किये गये टिकटों से प्राप्त आय का लेखा उ0 प्र0 आमोद और पणकर नियमावली,1981 के नियम–13 के अनुसार प्रपत्र "ख" में बनायेंगे, परन्तु सहायक अनुदान की अवधि में उसमें कर की राशि अलग दिखाई जायेगी तथा प्रत्येक सप्ताह एवं माह के अन्त में निर्धारित प्रारूप में साप्ताहिक एवं मासिक विवरण पत्र , जिसमें सप्ताह एवं माह में

टिकटों की बिक्री से प्राप्त कुल आय, सामान्य दरों पर देय कर की राशि, ऊपर उल्लिखित दर पर अनुमन्य अनुदान की राशि तथा अनुदान की राशि घटाकर वास्तव में देय कर की राशि, यदि कोई हो, दर्शाई जायेगी, तैयार करेंगे।

(4) मल्टीप्लेक्स छविगृह का स्वामी उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम,1979 तथा उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली,1981 तथा उसके अन्तर्गत विहित अधिकारों के अधीन समय–समय पर इस सम्बन्ध में जारी आदेशों का अनुपालन करेंगे।

(5) प्रत्येक सप्ताह में संग्रहीत कर की राशि में से अनुदान की राशि घटाकर कर की जो राशि नगद जमा करना अपेक्षित होगा उसे मल्टीप्लेक्स छविगृह के स्वामी द्वारा उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली,1981 के नियम–24 के अनुसार राजकीय कोष में जमा किया जायेगा।

(6) मल्टीप्लेक्स छविगृह के स्वामी द्वारा अनुदान के समतुल्य कर की राशि को नगद जमा करना आवश्यक नहीं होगा और इस संबंध में यह मान लिया जायेगा कि उसने उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली,1981 के नियम–24 के अन्तर्गत अनुदान के बराबर राशि भी जमा कर दिया है किन्तु लेखों में आवश्यक समायोजन हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक मास के सम्बन्ध में सिनेमा का स्वामी पूरे मास के लिये अनुमन्य अनुदान की कुल राशि का संहत बिल वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के नियम–209 के अनुसार निर्धारित प्रारूप–42 जी में बनायेगा तथा उसके शीर्ष पर "भुगतान लेखा संकमण द्वारा" तथा इस आदेश की संख्या तथा दिनांक अंकित करते हुये उसे मास के अन्त से सात दिन के अन्दर जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर उसे उतनी ही राशि के ट्रेजरी चालान की तीन प्रतियों के साथ कोषागार में प्रस्तुत करेगा। मल्टीप्लेक्स छविगृह के स्वामी उपरोक्त बिल के साथ मास के लिये अनुमन्य अनुदान की राशि का विवरण भी संलग्न करेगा,जो जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिये। जिलाधिकारी द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित करते समय उक्त विवरण को तथा ट्रेजरी चालानों को भी प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। इसी प्रकार प्रस्तुत प्रतिहस्ताक्षरित बिल के आधार पर कोषाधिकारी अनुदान की राशि का नकद भुगतान न करके अनुदान की राशि को लेखा शीर्षक "2045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क–आयोजनेत्तर–101–संग्रहण प्रभार–मनोरंजन कर–03 मनोरंजन कर से सम्बन्धित अधिष्ठान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता" के नाम डालते हुये उसे प्राप्ति के लेखा शीर्षक "0045– वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क–101–मनोरंजन कर–01–कर संग्रहण" के अधीन जमा कर देगा। बिल के साथ संलग्न सत्यापित/प्रतिहस्ताक्षरित विवरण–पत्र वाउचर का कार्य करेगा।

(7) शासनादेश तथा उपरिलिखित अनुबन्ध–पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट अनुदान की स्वीकृति का आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में अनुदान सहित प्रथम प्रदर्शन की तिथि से ऐसे निरस्तीकरण की तिथि तक अनुदान के रूप में दी गयी धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल की जायेगी, तत्पश्चात् सामान्य दरों पर मनोरंजन कर की वसूली एवं भुगतान किया जायेगा।

(8) अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् कम से कम आगामी 05 वर्षो की अवधि में मल्टीप्लेक्स छविगृह में प्रदर्शन जारी रखने तथा पूर्व में संचालित नियमित प्रदर्शनों की संख्या में कमी न करने हेतु मल्टीप्लेक्स छविगृह स्वामी बचनबद्ध होंगे। यदि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जायेगा तो अनुदान के रुप में उन्हें दी गयी सम्पूर्ण धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूल कर ली जायेगी और राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

जिला मजिस्ट्रेट,
जनपद .....

प्रारूप– III

अनुबन्ध–पत्र

(रू0 100.00 के स्टॉम्प पेपर पर मल्टीप्लेक्स छविगृह स्वामी द्वारा निष्पादित किया जायेगा)

यह विलेख आज दिनांक ..... को श्री ..... पुत्र श्री .....स्थायी निवासी ..... जो सम्प्रति ..... में निवास करता है (जिसे "आबद्ध" व्यक्ति कहा गया है) जिला मजिस्ट्रेट,..... (जिसे "जिला मजिस्ट्रेट" कहा गया है) के पक्ष में निष्पादित किया गया है।

उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली,1951 के प्राविधानों के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त मल्टीप्लेक्स छविगृह के मालिक के रूप में आबद्ध व्यक्ति श्री .....ने जनपद में स्थित..... (जिसे "आमोद" कहा गया है) के निमित्त शासनादेश संख्या ..... दिनांक ..... के अन्तर्गत अनुदान हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:–

1–(1) **आबद्ध व्यक्ति**, शासनादेश दिनांक ..... के अनुसार अनुमन्य अनुदान की धनराशि अपने पास रख सकेगा परन्तु उक्त धनराशि के समतुल्य धनराशि का लेखा संकमण द्वारा विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत समायोजन करायेगा ।

(2) आबद्ध व्यक्ति, शासनादेश की सभी शर्तों तथा सम्बन्धित समस्त अधिनियमों, नियमावलियों एवं समय–समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का पालन करेगा।

(3) आबद्ध व्यक्ति, अनुदान की अवधि समाप्त होने के बाद कम से कम 05 वर्ष तक मल्टीप्लेक्स छविगृह में प्रदर्शन अनिवार्य रूप से करेगा तथा इस अवधि में भी पूर्व में संचालित नियमित प्रदर्शनों की संख्या में कोई कमी नहीं करेगा। यदि 05 वर्ष से कम अवधि तक मल्टीप्लेक्स छविगृह में प्रदर्शन करता है अथवा अनुदान की अवधि के मध्य प्रदर्शन बन्द करता है, तो छविगृह में प्रथम प्रदर्शन से अनुदान के रूप में दी गयी धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करेगा।

(4) आबद्ध व्यक्ति, मल्टीप्लेक्स के निर्माण में उससे संबंधित नियमावली, अधिनियम, विनियमन, बाईलाज के किसी प्राविधान अथवा अनुमोदित मानचित्रों एवं विशिष्टियों का उल्लंघन नहीं करेगा अथवा, अनुदान गलत आधार पर प्राप्त नहीं करेगा, यदि गलत आधार पर अनुदान प्राप्त करता है, तो अनुदान का आदेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा छविगृहों में प्रथम प्रदर्शन से ऐसे निरस्तीकरण की तिथि तक अनुदान के रूप में दी गई धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करेगा।

2– **जिला मजिस्ट्रेट** निम्नलिखित अधिकार का प्रयोग कर सकते है :

(1) अनुदान का आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करना।

(2) अनुदान सहित प्रथम फिल्म प्रदर्शन की तिथि से अनुदान निरस्तीकरण की तिथि तक अनुदान के रूप में दी गयी समस्त मनोरंजन कर की राशि निर्धारित ब्याज सहित राजकीय कोष में जमा करने हेतु मल्टीप्लेक्स छविगृह स्वामी को आदेशित करना।

3– जिला मजिस्ट्रेट इस विलेख के अधीन आबद्ध व्यक्ति द्वारा देय/अधिरोपित किसी धनराशि को भू–राजस्व के बकाया की भाँति वसूल करना ।

4– जब तक कोई प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो।

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम,1979 से है।

(2) "आबद्ध व्यक्ति" के अन्तर्गत उसका वारिस, प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशी भी सम्मिलित है।

(3) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली,1981 से है।

इसके साक्ष्य स्वरूप इस विलेख पर ऊपर लिखित दिनांक और वर्ष को आबद्ध व्यक्ति ने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

आबद्ध व्यक्ति के हस्ताक्षर

निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

1– ..... (नाम व पता)

2–..... (नाम व पता)